**(250/– के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)**

(छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य–शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमडी/एमएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष ..... में आयोजित NEET PG प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय .....में शैक्षणिक सत्र 2026 में 2026 ..... सीट आबंटित की गई है ।

3. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

4. यह कि वर्ष 2026 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक RULE-801/205/2025-MED 06-11-2025 रायपुर दिनांक ..... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 15 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियॉ दी गई हैं, जिसे मैंने भलीभांति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम के सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

5. मैं एतद्द्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त, राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरी प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ***शब्दों में (रूपए ***) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

अनारक्षित श्रेणी रु. 50लाख/ आरक्षित श्रेणी हेतु रू. 40 लाख

संपत्ति का संपूर्ण विवरण

1. भवन/मकान होने पर उसका एरिया, पता एवं अनुमानित मूल्य लिखे। 2.भूमि/प्लाट होने पर उसका खसरा नं. रकबा और अनुमानित मूल्य लिखे।

7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्, मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जायेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।

9. एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना, विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि छ.ग. शासनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं होता है, तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।

10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति मे छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

गवाह : —

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2..... हस्तासक्षर

| आवेदक की फोटो | प्रतिभूतिकर्ता की फोटो | गवाह नं. 1 की फोटो | गवाह नं. 2 की फोटो |
|---|---|---|---|
| आवेदक | प्रतिभूतिकर्ता | गवाह 01 | गवाह 02 |

## प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में, बन्धपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – छः

*(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)*

**छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप**

मेरा पुत्र/पुत्री .....आत्मज/आत्मजा श्री..... निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय .....में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी./एम.एस.) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं। पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक RULE-801/205/2025-MED ..... दिनांक 06-11-2025 " छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम – 2025 " एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–

"यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग(NMC)/चिकित्सा परामर्श समिति (MCC)द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शिक्षण सत्र 2025 हेतु एम.डी./एम.एस. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा रू. 25 लाख (रू. पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रू. 20 लाख (रू. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगा "

पता .....

फोन नं. .....

| अभिभावक का फोटो |
|---|
| अभिभावक |

| प्रतिभूतिकर्ता का फोटो |
|---|
| प्रतिभूतिकर्ता |

हस्ताक्षर
अभिभावक

**प्रतिभूतिकर्ता**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : –

1.....

2.....

| गवाह नं. 01 का फोटो |
|---|
| 1. गवाह |

| गवाह नं. 02 का फोटो |
|---|
| 2. गवाह |

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

नाम :.....

पता :.....

.....

Scanned with OKEN Scanner